Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Jagdish Thakur, S/o Sh. Hem Raj, House No. 18, Ward No. 10, Gandhinagar, Tehsil & Distt. Hamirpur (HP) for extraction of Sand, Stone & Bajri (Mining of minor minerals) @ 1,30,387 MT/Year at Khasra No. 888/2 (Govt. Land, River Bed) falling in Mauza Lagwalti, Mohal Tika Taap, Tehsil Bamsan at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (HP) over an area measuring 07-60-27 Hectares, on 17/03/2023 at 11:30 AM on the open ground, near bridge on Uhal to Tira road via Chyar-Manoh, in Village Chyar, PO Uhal, Tehsil Bamsan at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Jagdish Thakur, S/o Sh. Hem Raj, House No. 18, Ward No. 10, Gandhinagar, Tehsil & Distt. Hamirpur (HP) for extraction of Sand, Stone & Bajri (Mining of minor minerals) @ 1,30,387 MT/Year at Khasra No. 888/2 (Govt. Land, River Bed) falling in Mauza Lagwalti, Mohal Tika Taap, Tehsil Bamsan at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (HP) over an

	Bari, Tehsil Bamsan at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (HP).	being set up under the rules. He said that we agree with the points highlighted by the Consultant with respect to the proposed project and we support the proposed project, which is being set up according to the norms.	
2.	Sh. Jamit Singh, Village Baknyar, Gram Panchayat Bhater, Tehsil Bamsan at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (HP)	He said that a large part of the privately owned land of his village is in adjoining of the proposed mining lease area. He told that there is a strong flow of water in the Khadd during the rainy season and expressed his apprehension that due to the mining in the Khadd, the rainwater may damage the private land of the villagers by crossing the mining area as well as the land left as a safe zone. He asked that what provisions have been made in the proposed mining project to protect their private land from damage. He also questioned what benefits would be given by the Government to his village, which would be most affected by the proposed mining project.	The Consultant replied that in the proposed mining project, 05 meters of land would be left in addition to the safe zone towards the private land of the villagers in order to protect the land of the villagers. Giving information about the benefits to the affected villages, the Consultant replied that the Government of Himachal Pradesh had formed the District Mineral Foundation Trust in 2016. He told that in this trust, every mining project deposit Ten rupees on every ton of mining material sold. He said that 50 percent of the above said fund used for the welfare of the area/people directly affected by the project. This fund will be utilized in the construction of roads, streets, medical centers or strengthening of already running schemes like drinking water supply etc. in the affected area. In addition to this, this fund can also be used in the construction of protective structures to secure the goods and properties in the affected area. He further informed that in addition to the above, the 10 percent of the fund is used for administrative expenses, 10 percent is kept in reserve and the remaining 30 percent of the fund is spent on the area/people that are indirectly affected from the Project. He told that the committee headed by the District Magistrate assesses

			how much impact the project has had on any area/people and according to the assessment, this committee decides the utilization of the above funds.
3.	Sh. Jogind Singh, VPO Utpur, Tehsil Bamsan at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (HP).	He said that there are two cremation grounds of local villages in the proposed mining lease area. In addition to this, there is a playground along with the proposed mining area and for the construction of same Rs. 30 lakh has already been spent from the MLA's fund. He said that the proposed mining project should not cause any damage to these properties of the villagers.	The consultant informed that the a joint committee under the Chairmanship of Sub Divisional Magistrate has already carried out the inspection of the lease area of proposed mining lease project and no means of public utilities have been found in the proposed mining lease area during the inspection. He further informed that 28 kanals of land has already been left in the proposed mining project to ensure the safety of the crematorium. The Consultant stated that the playground is located at a safe distance from the proposed mining project and the proposed mining project will not have any impact on the playground. He assured that the project proponent would contribute as much as possible to develop the said playground. He said that green trees would be planted around the playground and benches would be constructed for the spectators.

No suggestions, views, comments or objections were received in writing during the proceedings of the public hearing.

In the end, Er. Praveen Kumar, Assistant Environmental Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Jitender Sanjta
Additional Deputy Commissioner
Hamirpur, Distt. Hamirpur (HP)

श्री जगदीश ठाकुर, पुत्र श्री हेम राज, मकान संख्या 18, वार्ड नंबर 10, गांधीनगर, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) के द्वारा खसरा संख्या 888/2 (सरकारी भूमि), मौजा लग्वालटी, मोहाल टीका टाप, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 07–60–27 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी (कुल मात्रा 1,30,387 टन प्रतिवर्ष) के खनन/संग्रह के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 17.03.2023 को सुबह 11:30 बजे, श्री जगदीश ठाकुर, पुत्र श्री हेम राज, मकान संख्या 18, वार्ड नंबर 10, गांधीनगर, तहसील व जिला हमीरपुर (हि.प्र.) के द्वारा खसरा संख्या 888/2 (सरकारी भूमि), मौजा लग्वालटी, मोहाल टीका टाप, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 07–60–27 हैक्टेयर में से रेत, पत्थर व बजरी (कुल मात्रा 1,30,387 टन प्रतिवर्ष) के खनन/संग्रह के प्रस्ताव पर ऊहल से टीरा सड़क मार्ग (वाया छयार–मनोह) पर स्थित पुल के नजदीक खुला मैदान, गांव छयार, डाकखाना ऊहल, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त जिला अधिकारी हमीरपुर एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान सहायक खनन निरीक्षक हमीरपुर, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स चंड़ीगढ पॉल्यूशन टैसटिंग लैबोरेटरी मोहाली पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव	उत्तर
1.	राकेश कुमार, ग्राम पंचायत बाड़ी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि नियमों के तहत लगाई जा रही इस प्रस्तावित खनन परियोजना से उन्हें कोई भी आपत्ति नही है। उन्होनें कहा कि परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध मे उल्लेखित बिंदुओं से हम सहमत है और मापदंड़ो के अनुसार लगाई जा रही इस प्रस्तावित खनन परियोजना का हम समर्थन करते है।	
2.	श्री जमीत सिंह, गांव वक्नयार, ग्राम पंचायत भटेड़, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि उनके गांव की निजी मलकीयती वाली जमीन का बड़ा हिस्सा प्रस्तावित खनन क्षेत्र के साथ लगता है। उन्होनें बताया कि बरसात मे खड्ड मे पानी का बड़ा तेज बहाव होता है और आशंका जताई कि खड्ड मे खनन के कारण बरसात का पानी खनन क्षेत्र के साथ सुरक्षित जोन के रुप मे छोड़ी गई जमीन को भी पार करते हुए ग्रामीणो की निजी भूमि को नुक्सान पहुंचा	परामर्शदाता ने उत्तर दिया कि ग्रामीणो की भूमि की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित खनन परियोजना में ग्रमीणो की निजी भूमि की तरफ सुरक्षित जोन के अतिरिक्त 05 मीटर भूमि छोड़ी जाएगी। प्रभावित गांवो को मिलने वालें लाभ के संबंध मे परामर्शदाता ने जानकारी देते हुए

		सकता है। उन्होनें पुछा कि उनकी निजी भूमि को नुक्सान से बचाने के लिए प्रस्तावित खनन परियोजना में क्या प्रावधान किए गए है। उन्होनें यह भी प्रश्न किया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के लगने से सबसे अधिक प्रभावित होने वालें उनके गांव को सरकार द्वारा क्या लाभ दिया जाएगा।	कहा कि हि.प्र. सरकार ने 2016 में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया था। प्रत्येक जिले में बने इस ट्रस्ट में संबंधित जिले मे लगने वाली खनन परियोजना मे बिक्री किए गए प्रति टन सामग्री पर दस रुपये इस ट्रस्ट के पास जमा होते है। उन्होनें बताया कि ट्रस्ट के पास जमा इस फंड के 50 प्रतिशत पैसे का उपयोग परियोजना से सीधे तौर पर प्रभावित क्षेत्र/लोगो की भलाई में खर्च किया जाता है। इस फंड का उपयोग प्रभावित क्षेत्र में सड़को, गलियों, चिकित्सा केन्द्रों के निमार्ण या पेयजल आपूर्ति आदि पहले से चल रही स्कीमों के सुदुढ़ीकरण में किया जाता है। इसके अलावा इस फंड का उपयोग प्रभावित क्षेत्र में माल–संपतियों को सुरक्षित करने हेतु सुरक्षात्मक ढांचों के निमार्ण में भी किया जा सकता है। उन्होनें आगे जानकारी दी उपरोक्त के अलावा 10 प्रतिशत फंड का उपयोग प्रशासनिक व्यय में, 10 प्रतिशत रिजर्व में और बाकी का 30 प्रतिशत फंड अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित क्षेत्र/लोगो पर खर्च किया जाता है। उन्होनें बताया कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी यह आकलन करती है कि परियोजना से किसी क्षेत्र/लोगो पर कितना प्रभाव पड़ा है और आकलन के अनुसार इस बात का निर्धारण करती है कि उपरोक्त फंड को किस प्रकार से व कहां खर्च करना है।
3.	श्री जोगिन्द्र सिंह, गांव व डाकखाना ऊटपुर, तहसील तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में स्थानीय गांवो के दो शमशान घाट आते है। इसके अलाव प्रस्तावित खनन क्षेत्र के साथ एक खेल का मैदान भी है जिसके निमार्ण के लिए विधायक निधि से 30 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना से ग्रामीणो की इन संपतियों को कोई भी नुक्सान ना पंहुचे।	परामर्शदाता ने बताया कि प्रस्तावित खनन परियोजना के खनन क्षेत्र का निरीक्षण एसडीएम की अध्यक्षता में सयुंक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा पहले ही किया जा चुका है और निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित खनन क्षेत्र मे सार्वजनिक उपयोगिता के कोई साधन नही पाए गए है। उन्होनें आगे जानकारी दी कि प्रस्तावित खनन परियोजना मे 28 कनाल की भूमि को शमशान घाट की सुरक्षा को सुनिशचित करने के आश्य से पहले ही छोड़ दिया गया है। परामर्शदाता ने बताया कि खेल का मैदान प्रस्तावित खनन परियोजना से एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है और प्रस्तावित

			खनन परियोजना का कोई भी प्रभाव खेल के मैदान पर नही पड़ेगा। उन्होनें आश्वासन दिया परियाजना प्रस्तावक के द्वारा उक्त खेल के मैदान को विकसित करने के लिए यथासंभव योगदान दिया जाएगा। उन्होनें कहा कि खेल के मैदान के चारो ओर हरे पेड़ लगवाए जाएंगे और दर्शको के बैठने के लिए बैंचो का निमार्ण किया जाएगा।

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

जितेन्द्र सांजटा,
अतिरिक्त जिला अधिकारी,
हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)